

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-स. 3-3 (01)स्था/मंत्रा/अभि/17/1246-90 दिनांक :- 27/1/17
प्रेषिति :-

1. उप निदेशक अभियोजन राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर/जोधपुर
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान ।

विषय:- मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों
की संविदा पर सेवाए लेने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-11/94
94 जयपुर दिनांक 10.02.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक परिपत्र के क्रम में लेख है कि संविदा पर सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवाए लेने बाबत गृह (ग्रुप-10) विभाग की सहमति आईडी 123897/एच.-10 जयपुर दिनांक 23.01.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार आपके कार्यालय के अधीन मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर संविदा के रूप में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रथम बार, द्वितीय बार एवं तृतीय बार सेवाए लेने हेतु नवीन प्रस्ताव एवं पूर्व से कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की संविदा सेवा में अभिवृद्धि के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 10.02.2016 की शर्तों के अनुसार एवं उसके संलग्न प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमति हेतु लौटती डाक से निदेशालय में भिजवाये।



(अशोक कुमार शर्मा)
उप निदेशक अभियोजन,
(मुख्यालय)
राजस्थान जयपुर